जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेसविज्ञप्ति   दिनांक 03.12.2022

थाना कांधला

थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

आज दिनांक 03.12.2022 को कांधला क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग से दुष्कर्म करने के संबंध में पीड़िता के परिजन द्वारा थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थी। दाखिला तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना के संबंध में पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश प्रभारी निरीक्षक कांधला को दिये गये थे।

जिसके क्रम में आज दिनांक 03.12.2022 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री अभिषेक के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं /बालिकाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला /बालिका अपराधों से संबंधित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कांधला पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कांधला पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.सरफराज पुत्र अकील निवासी मौहल्ला मौलानान कस्बा व थाना कांधला जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री श्यामवीर सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
2.व0उ0नि0 श्री समयपाल अत्री थाना कांधला जनपद शामली।
3.उ0नि0 श्री उपेन्द्र सिंह थाना कांधला जनपद शामली।
4.है0का0 प्रताप सिंह थाना कांधला जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में शामली पुलिस द्वारा अवैध चाकू रखने के मामले में 01 अभियुक्त को माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई जेल में बिताई अवधि के कारावास की सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गयाः-</u>

1. वर्ष 2022 में थाना बाबरी पुलिस द्वारा अभियुक्त सन्नी पुत्र पाल सिंह निवासी हरि सिंह कालोनी थाना किला जनपद पानीपत (हरियाणा) के विरुद्ध थाना बाबरी पर **मु0अ0सं0 32/2022 धारा 4/25 आयुध अधिनियम में अभियोग** पंजीकृत किया गया था, जिसमें आज दिनांक 03.12.2022 को माननीय न्यायालय कैराना द्वारा अभियुक्त सन्नी उपरोक्त को **सुनाई जेल में बिताई अवधि (09.02.2022 से 03.12.2022) के कारावास की सजा व 2000/- रूपये के अर्थदंड से** दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1. सन्नी पुत्र पाल सिंह निवासी हरि सिंह कालोनी थाना किला जनपद पानीपत (हरियाणा)।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI